भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 640

28 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

एससी/एसटी/ओबीसी को मकानों का आवंटन

640. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

वर्ष 2019 से अब तक सरकार द्वारा जिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मकान आवंटित किए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, नागरिक सुविधाएं प्रदान करने सहित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के घर प्रदान करने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 114.30 लाख मकानों की नींव रखी जा चुकी है और दिनांक 18.11.2024 तक देशभर में 88.02 लाख मकान पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत वर्ष 2019 से अब तक एससी, एसटी और ओबीसी लाभार्थियों के लिए क्रमशः 9.53 लाख, 2.53 लाख और 24.46 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं।

*****